सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० हिन्दुस्तान, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिसूचना के तहत राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन तथा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान एग्ज़िट पोल प्रतबिंधित कर दिया है। इस आदेश के उल्लंघन पर दो साल की सजा और जुर्माने का प्राविधान है। निर्वाचन अवधि में मत सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण परिणामों का प्रकाशन व प्रसारण मीडिया संस्थान नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इस दौरान न ही मत सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रकाशन या प्रसारण कर सकेगा। यह प्रतिबंध साधारण निर्वाचन की स्थिति में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक रहेगा।

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी नियमों की जानकारी

513 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। सघन जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित कर दिए गए हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

लोस चुनाव व विस उपचुनाव के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

लखनऊ (एसएनबी)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनावों के साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 (1)(ख) के तहत मीडिया में किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इस दौरान न मत सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रानिक्र मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण किया जाएगा।

उल्लंघन पर दो वर्ष तक कारावास और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध साधारण निर्वाचन की स्थिति में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ से लेकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगा। वहीं उप निर्वाचन की स्थिति में भी यही प्रतिबन्ध लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जायेगा, उसे दो वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल को पूर्वाह्न सात बजे से 01 जून को सायं 6:30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया है, जिसके दौरान वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन और प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों के उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार और किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

फेक व पेड न्यूज की हो रही सघन मॉनीटरिंग : रिणवा

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोस चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फेक न्यूज तथा पेड न्यूज की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसओपी तैयार की गई है। एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की सघन मॉनीटरिंग की जा रही है। समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकते है। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जा रहा है। कोई भी प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापनों को टीवी, केबिल चैनल, रेडियो चैनल, सिनेमा हॉल, ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से मंजूरी अवश्य लें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० अमर उजाला, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

एक जून तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

उल्लंघन पर दो साल की जेल और जुर्माना

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। 19 अप्रैल को सुबह सात बजे से एक जून शाम 6:30 बजे के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रचार प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के

माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण नहीं करवा सकेगा। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान के शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा। कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो उसे दो वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दो साल की जेल और जुर्माना लग सकता है।

फेक और पेड न्यूज पर रहेगी कड़ी नजर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज और पेड न्यूज की पहचान व कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग ने एसओपी तैयार किया है। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज, रिपोर्टिंग एवं मीडिया के उल्लंघनों की सघन मॉनिटरिंग कर रही है। राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी के प्रमाणित करने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किए जा सकते हैं। ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित या फिर प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी समुदाय को आहत करता हो। यही नहीं प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है।

समाचार पत्र का नाम दै० हिन्दुस्तान, लखनऊ .... दिनांक 3 0 MAR 2024

कार्मिक पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे

लखनऊ। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान 12 सेवाओं के ऐसे कार्मिक जो ड्यूटी पर होने के कारण पोलिंग स्टेशन मतदान करने की स्थिति में न हों, पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि ऐसे कार्मिक फार्म-12 डी भरकर अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर संबंधित चरण / निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 12 सेवाओं जैसे-सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा), डाक, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन, मेट्रो, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के मतदान दिवस से संबंधित ड्यूटी व कवरेज में लगे कार्मिकों को यह सुविधा दी गई है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम [illegible] दिनांक 30 MAR 2024

'ECI FOCUS IS ON INCREASING VOTER AWARENESS, TURNOUT'

Ahead of the Lok Sabha polls, the Election Commission has introduced a host of measures to create awareness among voters, improve turnout and ensure free and fair elections. In an interview with ***Shalabh*** *and* ***Arvind Chauhan****, chief electoral officer of Uttar Pradesh,* ***Navdeep Rinwa****, spoke about the voters' guide and 'turnout implementation plan' to increase people's participation in the poll process. Excerpts:*

Q & A

Is there a handy platform to steer the voters to understand the basics of voter registration and how to use EVMs?

For the first time, the Election Commission of India (ECI) has introduced an eight-page voter guide. The booklet explains voter registration process, dos and don'ts on poll day, polling process, casting vote using EVM, facilitation apps by ECI, assured minimum facilities for disabled voters and senior citizens and voters' pledge.

How can one access the voters' guide?

We have over 15.34 crore registered voters in Uttar Pradesh. On average, each household has five eligible voters. Besides 'voter information slip' (which contains voters' electoral details, polling centre and station), booth level officers (BLOs) will also give voters' guides to people. The booklet is also available on ECI website in PDF format in both English and Hindi.

Will the booklets be distributed phase wise?

Yes. BLOs will have to ensure that voters get the booklet at least five days before the polling day. If a voter does not receive the booklet and voter information slip, he/she can dial 1950 to register complaint.

Is voter registration still on?

The registration process is currently open for voters whose constituencies fall in phase 3 onwards. It is not available for the first two phases. We freeze the voter registration process 10 days before the last date of nomination. We take at least four days to print the voter information slip. The voter registration process for the first phase was stopped on Mar 17 as the last date for nomination was Mar 27. By Mar 31, all voter information slips would be printed for distribution. It is important to add that we stopped voter name deletion on Mar 16 soon after the model code of conduct was implemented. Eligible voters can fill Form 6 to become first-time voters, while for change of address, correction of entries, replacement of EPIC and marking of disabled persons, Form 8 can be filled online (voters.eci.gov.in) or voter helpline app. People may contact BLO or voter facilitation centres to get the changes done in offline mode.

What strategy has been followed to improve voter participation in districts where lower than average polling was recorded in 2019?

It has been a serious concern for the ECI to ensure higher voting. To achieve this, we have introduced a 'turnout implementation plan' (TIP) across all polling stations in UP while focusing on districts where lower than average turnout was recorded in the last election.

How is TIP helping in achieving desired results?

Problem areas have been identified in assembly constituencies where lower turnout was recorded. The state average last time was 59.21%. One key issue in eastern UP districts was increased migration of male members to bigger cities. In such areas, we have tried to update electoral rolls. Increased voter registration, awareness campaigns, addressing socio-economic issues, bridging cultural and demographic gaps are other activities being carried out.

Last time, around 54% turnout was recorded in 11 districts of UP. Urban centers like Kanpur and Allahabad (Prayagraj) were also among the districts with the poorest turnout while Phulpur witnessed lowest participation (49%). What should the voters who complain of their names going missing do?

We have proactively ensured the inclusion of non-voters, particularly individuals from marginalised communities, through targeted interventions and special campaigns. While our portal and mobile apps provide all information, I want to communicate to all the voters that a dedicated helpline (1950) has been established to register grievances, complaints, feedback, suggestions and queries. People can find the procedure to enrol themselves on our portals and apps, find out their polling stations, inform us in advance if their names are missing due to some reason or just provide their feedback. The helpline would function round the clock till polling takes place and would be helpful to the elderly and villagers who are not very tech savvy.

During checking, govt officials and policemen deployed on election duty have the tendency of making videos of private motor vehicles owners who are stopped at barricades. Many people have expressed privacy concerns. If nothing objectionable is found from a vehicle, what is the need to record it?

In the past, offenders have levelled fabricated allegations against govt officials after cash, liquor or any other objectionable items were recovered from their vehicles. Therefore, it is better to film the proceedings as the role of officials can also be verified.

At times, private establishments and offices do not offer complete flexibility to employees to vote. Does that lead to lower turnout as well?

We are urging private offices and establishments to allow their employees to vote and keep offices shut on the day of polling. Paid leave should be offered. Action can be initiated against the owner and promoter of the company if such a complaint is received.

Has any political party submitted a complaint against a govt servant and sought his/her removal?

We have been taking note of such issues and action is taken according to the procedure.

According to the Population Projections for India and States (2011-2036), a report released by the National Commission on Population, ministry of health and family welfare (MoHFW) in July 2020, UP's population projection for 18-19 age group in 2024 is around 92.64 lakh. However, according to the ECI, the state has registered only 20.41 lakh first-time voters in this age group for Lok Sabha polls. This means that over 77% of voters in this age group are yet to be registered. Even if we consider mortality and migration factors, the projection still exceeds the number of registered voters in the age group of 18-19 years. What do you have to say?

There is no specific reason as to why youths are not turning up to register themselves as voters. There is immense scope as many in the 18-19 years category are out of the voter list. Before 2021, there was only one qualifying or cutoff date, Jan 1, to be considered as 18 years to register as voter, but an amendment was introduced which allowed four qualifying dates to become first-time voters. Now, anyone who is turning or has turned 18 years on the first date of any quarter (Jan 1, Apr 1, July 1 and Oct 1) can apply for a voter card, provided one is an Indian citizen and a resident of the polling area.

No general order for depositing firearms during LS polls: HC

LUCKNOW In a matter of depositing licensed arms in view of the Lok Sabha polls, the Lucknow bench of the Allahabad high court has ordered the authorities that there can't be a general order for it.

The court also clarified that in case the authority has valid reasons requiring the arms licence holders to deposit their weapons, it would always be open for the competent authority to pass a specific order in this regard.

This order was passed by Justice Abdul Moin recently on a petition filed by Ravi Shankar Tiwari and four others of Amethi district raising the issue of depositing the licensed arms by the authorities in view of the general election. The petitioners submitted that they are valid arms licence holders and the authorities are compelling them to deposit their weapons. They sought relief from the court in the matter in view of their security concerns.

Citing various judgments on the issue, the court said citizens who have valid fire arm licences may not be compelled to deposit their firearms in general merely on the basis that Lok Sabha elections are to be held in near future.

On the other hand, the state counsel informed the court that as per the letter issued by the Uttar Pradesh's chief electoral officer, holding free and fair elections requires a screening committee for the purpose of verification of the arm licences and for their deposition.

To it, the court said even if the screening committee has been formed, some cogent reasons should emerge from the order of committee as to why it was essential for the firearms to be deposited and there can't be a general order for depositing arms in view of an earlier judgment of the court on the issue.

With this observation, the court directed to send a copy of the order to the state's chief secretary, the principal secretary (home) and the director general of police for appropriate action.

MANOJ KUMAR SINGH

9140.81 लाख की मदिरा ड्रग व नगदी जब्त की गयी

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 1 मार्च से 28 मार्च तक कुल 9140.81 लाख रुपए कीमत की मदिरा, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 1479.20 लाख रुपये नकद धनराशि, 2242.06 लाख रुपये कीमत की 632245.35 लीटर शराब, 3527.60 लाख रुपये कीमत की 4499949.66 ग्राम ड्रग, 1778.18 लाख रुपये कीमत की 39163.86 ग्राम बहुमूल्य धातुएं, 1.43 लाख रुपये के 298 मुफ्त उपहार एवं 112.34 लाख रुपये कीमत की 896.21 अन्य सामग्री जब्त की गयी।

- सूबे में आदर्श आचार संहिता का हो रहा कड़ाई से अनुपालन
- 28 मार्च को कुल 381.93 लाख रुपये कीमत की मदिरा, ड्रग व नगदी आदि जब्त

आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 28 मार्च को कुल 381.93 लाख रुपए कीमत की मदिरा, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 33.92 लाख रुपये नकद धनराशि, 56.66 लाख रुपये कीमत की 20278.97 लीटर शराब, 285.84 लाख रुपये कीमत की 22601.51 ग्राम ड्रग एवं 5.51 लाख रुपये कीमत की 50 अन्य सामग्री जब्त की गयी। 28 मार्च को प्रमुख जब्ती में गाजीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 200 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 1 किग्रा ड्रग, जनपद बहराइच की नानपारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 74 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 7.4 किग्रा. ड्रग तथा गाजियाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13.54 लाख रुपये नगद धनराशि पकड़ी गयी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्पष्ट आवाज, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

चेकिंग अभियान में 1479 लाख नकदी, 3527 लाख की ड्रग जब्त

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को एक जारी बयान में बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने एक मार्च से 28 मार्च तक 1479.20 लाख रुपये नकद धनराशि, 2242.06 लाख रुपये कीमत की 632245.35 लीटर शराब, 3527.60 लाख रुपये कीमत की 4499949.66 ग्राम ड्रग, 1778.18 लाख रुपये कीमत की 39163.86 ग्राम बहुमूल्य धातुएं, 1.43 लाख रुपये के 298 मुफ्त उपहार एवं 112.34 लाख रुपये कीमत की 896.21 अन्य सामग्री जब्त की गयी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभी तक कुल 9140.81 लाख रुपये कीमत की ड्रग, नकदी, मुफ्त उपहार, शराब, बहुमूल्य धातुएं व अन्य सामग्री जब्त किया है। 28 मार्च को निर्वाचन टीमों की सक्रियता के कारण जनपद गाजीपुर की गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में दो करोड़ रुपये अनुमानित कीमत की एक किलोग्राम ड्रग को पकड़ कर जब्त किया गया है। नवदीव रिणवा ने बताया कि जनपदों में निर्वाचन की टीमों की कार्रवाईयों में जनपद बहराइच की नानपारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 74 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 7.4 किलोग्राम ड्रग तथा जनपद गाजियाबाद की गाजियाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13.54 लाख रुपये नकद धनराशि पकड़ी गयी। आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियां प्रत्येक संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखकर जब्त की कार्वाई कर रही है।

फेक तथा पेड न्यूज पर रखी जा रही है कड़ी नजर

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसओपी तैयार की गई है। एम0सी0एम0सी0 द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की सघन मॉनीटरिंग की जा रही है। समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जा रहा है। कोई भी प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापनों को टीवीध्केबिल चैनल, रेडियो चैनल, सिनेमा हॉल, ऑडियों-विजुअल डिस्प्ले, प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व एम0सी0एम0सी0 कमेटी से मंजूरी अवश्य लें। ऐसे विज्ञापन को प्रकाशितध्प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी समुदाय को आहत करता हो। प्रचार में प्रयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री पर प्रिन्टिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्वतंत्र भारत, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

फेंक व पेड न्यूज पर आयोग की कड़ी नजर

स्वतंत्र भारत ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक सभा चुनाव की प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आयोग द्वारा एसओपी तैयार की गई है।

एम0सी0एम0सी0 द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की सघन मॉनीटरिंग की जा रही है। समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जा रहा है। कोई भी प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापनों को टीवी, केबिल चैनल, रेडियो चैनल, सिनेमा हॉल, ऑडियों-विजुअल डिस्प्ले, प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व एम0सी0एम0सी0 कमेटी से मंजूरी लेनी होगी । ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी समुदाय को आहत करता हो। प्रचार में प्रयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री पर प्रिन्टिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

लोकसभा चुनाव :

1479 लाख नकदी, 3527 लाख की ड्रग जब्त

प्रवर्तन एजेंसियां प्रत्येक संदिग्ध गतिविधि पर रख रही नजर, कर रही कार्रवाई

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को एक जारी बयान में बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने एक मार्च से 28 मार्च तक 1479.20 लाख रुपये नकद धनराशि, 2242.06 लाख रुपये कीमत की 632245.35 लीटर शराब, 3527.60 लाख रुपये कीमत की 4499949.66 ग्राम ड्रग, 1778.18 लाख रुपये कीमत की 39163.86 ग्राम बहुमूल्य धातुएं, 1.43 लाख रुपये के 298 मुफ्त उपहार एवं 112.34 लाख रुपये कीमत की 896.21 अन्य सामग्री जब्त की गयी।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभी तक कुल 9140.81 लाख रुपये कीमत की ड्रग, नकदी, मुफ्त उपहार, शराब, बहुमूल्य धातुएं व अन्य सामग्री जब्त किया है। 28 मार्च को निर्वाचन टीमों की सक्रियता के कारण जनपद गाजीपुर की गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में दो करोड़ रुपये अनुमानित कीमत की एक किलोग्राम ड्रग को पकड़े कर जब्त किया गया है। नवदीव रिणवा ने बताया कि जनपदों में निर्वाचन की टीमों की कार्रवाईयों में जनपद बहराइच की नानपारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 74 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 7.4 किलोग्राम ड्रग तथा जनपद गाजियाबाद की गाजियाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13.54 लाख रुपये नकद धनराशि पकड़ी गयी। आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियां प्रत्येक संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखकर जब्त की कार्रवाई कर रही है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 अमर उजाला, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

वाहनों में बीकन लाइट और फ्लैग दुरुपयोग के 525 मामलों में कार्यवाही

लखनऊ। आचार संहिता के अनुपालन में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 46.51 लाख से ज्यादा प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई जा चुकी है। अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 525 मामलों और लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 1066 मामलों में कार्यवाही भी की गई है। सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 3.09 लाख, पोस्टर के 13.15 लाख, बैनर के 8.19 लाख और अन्य 3.88 लाख मामलों में कार्यवाही की गई। निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 2.32 लाख, पोस्टर के 8.35 लाख, बैनर के 4.74 लाख, और अन्य 2.77 लाख मामलों में कार्यवाही की गई। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 19 एफआईआर, दो एनसीआर सहित कुल 21 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर रखी जा रही है कड़ी नजर

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसओपी तैयार की गई है। एम0सी0एम0सी0 द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की सघन मॉनीटरिंग की जा रही है। समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जा रहा है। कोई भी प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापनों को टीवी/केबिल चैनल, रेडियो चैनल, सिनेमा हॉल, ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व एम0सी0एम0सी0 कमेटी से मंजूरी अवश्य लें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....डे० स्वतंत्र चेतना, लखनऊ.... दिनांक ....30 MAR 2024

प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन और विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

प्रदेश में सभी सात चरणों में हो रहे हैं लोकसभा निर्वाचन, साथ ही चार विधानसभा क्षेत्रों में भी उप चुनाव की प्रक्रिया जारी

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126(1)(ख) के तहत मीडिया में किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत यह निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इस दौरान न ही मत सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध साधारण निर्वाचन की स्थिति में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से लेकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगा। वहीं उप निर्वाचन की स्थिति में भी यही प्रतिबन्ध लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसी उप निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले उप निर्वाचन की स्थिति में भी यह अवधि मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। अलग-अलग दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले उप निर्वाचनों की दशा में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जायेगा, उसे दो वर्ष तक कारावास की सजा और जुमार्ना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 7:00 बजे तथा 01 जून 2024 (शनिवार) को अपराह्न 6:30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया है, जिसके दौरान वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन और प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों के उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार और किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को प्रदेश में सात चरणों में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के साथ ही ददरौल, लखनऊ पूर्व, गैंसड़ी और दुद्धी (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का हो रहा कड़ाई से अनुपालन

ब्यूरो प्रमुख

पुलिस विभाग द्वारा 2,455 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 2694 कारतूस, 06 किग्रा0 विस्फोटक व 124 बम बरामद, अवैध शस्त्र बनाने वाले 57 केन्द्र सीज

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जाँच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा अब तक 4,53,311 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। इसके अलावा अपराधिक व्यक्तियों के 310 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3,816 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 12,54,167 लोगों को पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 2,455 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 2,694 कारतूस, 06 किग्रा0 विस्फोटक व 124 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 463 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 57 केन्द्रों को सीज किया गया।आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 28 मार्च को पुलिस विभाग द्वारा 30,981 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। 60 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 90,879 लोगों को पाबन्द किया गया। साथ ही 179 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 214 कारतूस, 14 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 57 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 02 केन्द्रों को सीज किया गया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 आज, लखनऊ .... दिनांक 30 MAR 2024

लोकसभा चुनावः 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट व 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्चनको लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा 4,53,311 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। अपराधिक व्यक्तियों के 310 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3,816 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 12,54,167 लोगों को पाबन्द किया गया। पुलिस विभाग द्वारा 2,455 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 2,694 कारतूस, 06 किग्रा विस्फोटक व 124 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 463 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 57 केन्द्रों को सीज किया गया। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 28 मार्च की पुलिस विभाग द्वारा 30,981 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। 60 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 90,879 लोगों को पाबन्द किया गया। साथ ही 179 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 214 कारतूस, 14 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 57 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 02 केन्द्रों को सीज किया गया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 वॉयस ऑफ लखनऊ, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

सघन जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय तथा 1847 चेक पोस्ट संचालित

विशेष संवाददाता (vol)

- अब तक 4,53,311 लाइसेंसी शस्त्र हुए जमा
- अपराधिक व्यक्तियों के 310 लाइसेंसी जब्त, 3816 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त
- सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही में 12,54,167 लोग हुए पाबंद

लखनऊ। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा अब तक 4,53,311 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये।

इसके अलावा अपराधिक व्यक्तियों के 310 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3,816 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 12,54,167 लोगों को पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 2,455 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 2,694 कारतूस, 6 किग्रा. विस्फोटक व 124 बम बरामद कर सीज किये गये।

पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 463 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 57 केन्द्रों को सीज किया गया। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 28 मार्च को पुलिस विभाग द्वारा 30,981 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। 60 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये।

सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 90,879 लोगों को पाबन्द किया गया। साथ ही 179 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 214 कारतूस, 14 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 57 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 2 केन्द्रों को सीज किया गया।

चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध

स्वतंत्र भारत ब्यूरो, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के साथ-साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के दौरान मीडिया में किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति न ही मत सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध साधारण निर्वाचन की स्थिति में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से लेकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगा। वहीं उप निर्वाचन की स्थिति में भी यही प्रतिबन्ध लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसी उप निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले उप निर्वाचन की स्थिति में भी यह अवधि मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जायेगा, उसे दो वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 जन संदेश टाइम्स, लखनऊ .... दिनांक 3 0 MAR 2024

प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन, कराया जा रहा कड़ाई से अनुपालन

सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित

सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही में 12,54,167 लोग पाबन्द किये गये

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा अब तक 4,53,311 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। इसके अलावा अपराधिक व्यक्तियों के 310 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3,816 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 12,54,167 लोगों को पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 2,455 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 2,694 कारतूस, 06 किग्रा0 विस्फोटक व 124 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 463 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 57 केन्द्रों को सीज किया गया। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 28 मार्च को पुलिस विभाग द्वारा 30,981 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। 60 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 90,879 लोगों को पाबन्द किया गया। साथ ही 179 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 214 कारतूस, 14 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 57 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 02 केन्द्रों को सीज किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 46,51,686 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 28,32,107 तथा निजी स्थानों से 18,19,579 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 3,09,486, पोस्टर के 13,15,397, बैनर के 8,19,005 एवं अन्य 3,88,219 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 19 एफआईआर दर्ज, 02 एनसीआर सहित कुल 21 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...दै० डेली न्यूज, लखनऊ............ दिनांक 3 0 MAR 2024

आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर कड़ी नजर

लखनऊ (डीएनएन)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसओपी तैयार की गई है। एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की सघन मॉनीटरिंग की जा रही है। समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जा रहा है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ......दै० डेली न्यूज़ लखनऊ...... दिनांक 30 MAR 2024

यूपी में सघन जांच के लिए बनाए गए 513 अंतरराज्यीय चेकपोस्ट

लखनऊ (डीएनएन)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन.2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। सघन जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...... दै0 तरुण मित्र ...... दिनांक ....

लोकसभा चुनाव व उपचुनाव में 'एग्जिट पोल' पर प्रतिबंध

लखनऊ, 29 मार्च (तरुणमित्र)। यूपी में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126(1)(ख) के तहत मीडिया में किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत यह निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इस दौरान न ही मत सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण किया जाएगा।

स्पष्ट किया गया है कि एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध साधारण निर्वाचन की स्थिति में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से लेकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगा। वहीं उप निर्वाचन की स्थिति में भी यही प्रतिबन्ध लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसी उप

- नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल व जुर्माना
- फेंक न्यूज तथा पेड न्यूज पर रखी जा रही है कड़ी नजर

निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले उप निर्वाचन की स्थिति में भी यह अवधि मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। अलग-अलग दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले उप निर्वाचनों की दशा में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जायेगा, उसे दो वर्ष तक कारावास की सजा और जुमार्ना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को प्रदेश में सात चरणों में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के साथ ही ददरौल, लखनऊ पूर्व, गैंसड़ी और दुद्धी (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसओपी तैयार की गई है। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जा रहा है।

लाखों की मदिरा, ड्रग व मुफ्त उपहार जब्त

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 28 मार्च तक कुल 9140.81 लाख रुपए कीमत की मदिरा, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 1479.20 लाख रुपये नकद धनराशि, 2242.06 लाख रुपये कीमत की 632245.35 लीटर शराब, 3527.60 लाख रुपये कीमत की 4499949.66 ग्राम ड्रग, 1778.18 लाख रुपये कीमत की 39163.86 ग्राम बहुमूल्य धातुएं, 1.43 लाख रुपये के 298 मुफ्त उपहार एवं 112.34 लाख रुपये कीमत की 896.21 अन्य सामग्री जब्त की गयी।

आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 28 मार्च को कुल 381.93 लाख रुपए कीमत की मदिरा, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 33.92 लाख रुपये नकद धनराशि, 56.66 लाख रुपये कीमत की 20278.97 लीटर शराब, 285.84 लाख रुपये कीमत की 22601.51 ग्राम ड्रग एवं 5.51 लाख रुपये कीमत की 50 अन्य सामग्री जब्त की गयी।

अब तक 4,53,311 लाइसेंसी शस्त्र जमा

लखनऊ। नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

सघन जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा अब तक 4,53,311 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। इसके अलावा अपराधिक व्यक्तियों के 310 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3,816 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 12,54,167 लोगों को पाबन्द किया गया। पुलिस विभाग द्वारा 2,455 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 2,694 कारतूस, छह किग्रा. विस्फोटक व 124 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 463 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 57 केन्द्रों को सीज किया गया। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 28 मार्च को पुलिस विभाग द्वारा 30,981 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। अवैध शस्त्र बनाने वाले 57 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और दो केन्द्रों को सीज किया गया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

लिंगानुपात में पीछे होने के बाद भी महिला मतदाता सबसे आगे

सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक हैं महिला वोटर

जासं, लखनऊ : लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा की कुल नौ विधानसभा सीटों में से सरोजनीनगर विधानसभा में सबसे अधिक महिला वोटर हैं। बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र महिला वोटर के मामले में दूसरे नंबर पर है। चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि सबसे अधिक महिला वोटर होने के बावजूद सरोजनीनगर विधानसभा में लिंगानुपात चुनाव आयोग के मानक के अनुरूप नहीं है। प्रति एक हजार पुरुष वोटरों पर 906 महिला वोटर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर संख्या केवल 873 है। इसी तरह बख्शी का तालाब में भी जेंडर रेशियो 891 है। लखनऊ लोकसभा में लखनऊ पूर्व विधानसभा और मोहनलालगंज लोकसभा में मोहनलालगंज विधानसभा में ही लिंगानुपात मानक के अनुरूप हैं। पूर्वी में यह संख्या 910 है, जबकि मोहनलालगंज में यह आंकड़ा 906 है। लखनऊ में कुल 1859846 महिला वोटर हैं, जबकि कुल वोटरों की संख्या दोनों लोकसभा सीटों पर 3953287 है। लखनऊ लोकसभा के तहत लखनऊ पश्चिम, उत्तर, मध्य, पूर्वी और कैंट विधानसभा सीटें आती है। वहीं मोहनलालगंज लोकसभा में मोहनलालगंज विधानसभा, सरोजनीनगर, बख्शी का तालाब और मलिहाबाद विस सीटें आती हैं। लखनऊ लोकसभा में 2147932 वोटर हैं, जबकि मोहनलालगंज लोकसभा में 1805355 मतदाता हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से पुनरीक्षण के दौरान अधिक से अधिक महिलाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के प्रयास तो हुए, लेकिन आयोग के मानकों तक संख्या अब तक नहीं पहुंच पाई है।

906 महिला वोटर प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर होनी चाहिए

कुल पुरुष वोटर	2093283
कुल महिला वोटर	1859846
थर्ड जेंडर	158
कुल वोटर	3953287

लिंगानुपात

पश्चिम	880
उत्तर	877
पूर्वी	910
मध्य	901
कैंट	889
मोहनलालगंज	906
मलिहाबाद	875
बख्शी का तालाब	891
सरोजनीनगर	873

लखनऊ लोकसभा

विस	मतदाता	महिला वोटर
पश्चिम	465043	216058
उत्तर	483793	224597
पूर्वी	458984	217542
मध्य	372458	175844
कैंट	38067654	172422

मोहनलालगंज लोस

विस	मतदाता	महिला
मोहनलालगंज	364310	172886
मलिहाबाद	367524	171142
बख्शी का तालाब	483675	226590
सरोजनीनगर	589846	272879

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

परिवार के वयस्क सदस्य को दी जाएगी पर्ची

लखनऊ (एसएनबी)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचक नामावली में राजधानी की दोनों लोक सभा सीटों (लखनऊ और मोहनलालगंज (सु.) के पंजीकृत सभी मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची जारी की जायेगी। इस मतदाता सूचना पर्ची के आगे के भाग पर निर्वाचक नामावली में भाग संख्या व नाम, क्रम संख्या, पोलिंग स्टेशन का नाम तथा मतदान का दिनांक, क्यू आर कोड इत्यादि का उल्लेख होगा।

मतदाता सूचना पर्ची के पीछे के भाग पर पोलिंग स्टेशन का नक्शा तथा बीएलओ का नाम, बीएलओ का कॉन्टेक्ट नम्बर, मतदान करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज का विवरण तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देश आदि उल्लिखित रहेगा। मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को हिन्दी में रंगीन वोटर गाइड भी दी जाएगी।

सहायक जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानसार समस्त पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची का वितरण मतदान की तिथि के 9 दिन पूर्व से लेकर मतदान की तिथि से 5 दिन पूर्व तक समस्त मतदाताओं को उपलब्ध करायी जाएगी। बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची, पंजीकृत मतदाता को या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने के बाद दी जायेगी।

भाग संख्या व नाम, क्रम संख्या, पोलिंग स्टेशन का नाम तथा मतदान का दिनांक क्यू आर कोड का होगा उल्लेख

बीएलओ के जरिये पहुंचेगी मतदान पर्ची

सहायक जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रंगीन वोटर गाइड में चित्रों के माध्यम से मतदाता ईवीएम से कैसे अपना मतदान करें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा ऐप्स जैसे सक्षम-ईसीआई, वोटर हेल्पलाइन ऐप, अपने अभ्यर्थी को जाने (नो योर कैन्डिडेट) ऐप तथा सी-विजिल ऐप की जानकारी दी गयी है। इसके साथ ही पंजीकरण, मतदान, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को घर से मतदान तथा डाक मतपत्र की सविधा मिलेगी, जिससे सभी घर से पोस्टल बैटल के जरिये मतदान कर सकेंगे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दै० हिन्दुस्तान लखनऊ.... दिनांक ....30 MAR 2024....

ईवीएम के इस्तेमाल से रुक गई मतों की बर्बादी

उपलब्धि

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण अब वोट निरस्त या बर्बाद नहीं होते। एक समय ऐसा भी था जब भारी संख्या में वोट निरस्त या बर्बाद हो जाते थे। तब प्रतिद्वन्दिता में पक्ष-विपक्ष के नेता या समर्थकों द्वारा बैलेट बॉक्स में पानी या स्याही अथवा कुछ अन्य तरल पदार्थ डालकर मतों को बर्बाद कर दिये जाने की शिकायतें खूब हुआ करती थी। अज्ञानतावश या प्रतिद्वंद्विता के कारण मत पत्रों पर एक से अधिक मुहर लग जाने से वोट निरस्त हो जाते थे लेकिन जब से ईवीएम से मतदान शुरू हुआ है मतों के निरस्त या बर्बाद होने का ग्राफ पूरी तरह से जमीन पर आ गया है।

ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तो निरस्त मतों की संख्या बहुत अधिक रहती थी, ईवीएम के प्रयोग के बाद यह अति न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। और इस कारण से कई स्थानों पर निरस्त मतों के कारण बहुत कम मतों से हार-जीत का फैसला होने लगा है। एक समय ऐसा भी था जब 17 फीसदी तक वोट निरस्त हुए हैं। साठ के दशक में बड़े पैमाने पर वोटों के निरस्तीकरण की वजह से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे थे।

निरक्षरता भी था बड़ा कारण: पहले निरक्षर लोगों, विशेषकर निरक्षर वोटरों की संख्या बहुत अधिक थी। नतीजा मतपत्र पर कहां मुहर लगाना है और कहां हस्ताक्षर करना है या अंगूठा लगाना है। इसके बारे में मतदाताओं ठीक से पता नहीं होता था। कई वोट तो हड़बड़ी में लगे मुहर से बेकार हो जाते थे। निर्वाचन आयोग ने जब से चुनाव सुधार कार्यक्रम शुरू किया, खासकर ईवीएम से मतदान शुरू कराया तब से वोटों के निरस्त या बर्बाद होने का सिलसिला कम होता चला गया।

60 के दशक में वोटों के रद्द होने से प्रक्रिया पर उठे थे सवाल

वर्ष 2004 से निरस्त मतों का ग्राफ नीचे आया

वर्ष 2004 के चुनाव में ईवीएम के प्रयोग के बाद से निरलसत या बर्बाद होने वाले मतों के ग्राफ में एकदम से गिरावट आई। 2004 में ही 0.02 फीसदी मत ही निरस्त हुए। इसमें मतदान कार्य में लगे कर्मियों के अलावा अन्य के पोस्टल बैलेट भी शामिल हैं। उसके बाद से अब तक किसी भी चुनाव में गिनती के मत ही निरस्त हुए। इन निरस्त हुए मतों में पोस्टल बैलेट की संख्या सर्वाधिक अधिक है। जानकारों का कहना है कि तकनीकी कारणों से निरस्त होने वाले नाम मात्र के वोटों को छोड़ दें तो ईवीएम ने वोट की बर्बादी पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है।

उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में निरस्त वोट

चुनाव वर्ष	निरस्त वोट	रद्द प्रतिशत
1951	00	00
1957	808615	5.62
1962	793047	4.24
1967	1182793	5.15
1971	537174	2.55
1977	617955	2.11
1980	665109	2.29
1984	706625	2.03
1989	1803453	4.42
1991	1587542	4.06
1996	866498	1.85
1998	755903	1.34
1999	737267	1.34
2004	8455	0.02
2009	28064	0.05
2014	25495	0.04
2019	50574	0.06

नोट- वर्ष 1951 में पहले लोकसभा चुनाव में निरस्त वोटों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० हिन्दुस्तान, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

अनुमान | लोकसभा चुनाव में 75 से 80 हजार करोड़ रुपये तक खर्च होने का अनुमान जता रहे आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ

2019 के मुकाबले 38% महंगा होगा इस बार चुनाव

■ हेमंत श्रीवास्तव

130 करोड़ हर संसदीय क्षेत्र में खर्च

■ पांच वर्ष में महंगाई भी करीब 32% बढ़ी है

कुल खर्च में हिस्सेदारी

■ प्रत्याशी द्वारा खर्च	40 फीसदी के करीब
■ राजनीतिक दलों का खर्च	35 फीसदी के करीब
■ आयोग/सरकार का खर्च	15 फीसदी के करीब
■ अन्य खर्च	10 फीसदी के करीब

लखनऊ। 2024 के आमचुनाव पर महंगाई का असर देखने को मिलेगा। पिछले आमचुनाव के मुकाबले इस आमचुनाव के खर्चों में 32 से 38 फीसदी तक वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में औसतन 130 से 140 करोड़ रुपये चुनावी खर्चों के मद से बाजार में आएंगे। अप्रैल, मई में होने वाले चुनावी खर्च से केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों के कर राजस्व में इजाफा होगा। वैट, जीएसटी, आबकारी जैसे मदों में अन्य महीनों की तुलना में अधिक धनराशि राजकीय खजाने में पहुंचेगी।

कर्मचारियों के डीए के आधार पर 38 फीसदी बढ़ी महंगाई: जनवरी 2019 के मुकाबले जनवरी 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा लेबर ब्यूरो के मूल्य सूचकांक के आधार पर कर्मचारियों को दिए गए महंगाई भत्ते से तुलना करने पर पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव तक महंगाई 38 फीसदी बढ़ी है। जनवरी 2019 में कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की दर 12 फीसदी थी तो जनवरी 2024 में यह 50 फीसदी पर पहुंच गई है।

बाजार में आएगा पैसा तो खजाने की सेहत अच्छी होगी

बाजार व आर्थिक मामलों के जानकार यूपी वित्त विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के मुताबिक किसी भी चुनाव के दौरान अधिक मुद्रा बाजार में चलन में होती है। बैनर, पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्री, लाउडस्पीकर, शामियाना, मिठाई व भोजन, फूल-मालाएं, वाहनों की भागदौड़ तथा अन्य खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं।

आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 32 फीसदी बढ़ी महंगाई: भारत सरकार के आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते पांच साल की अवधि में महंगाई 32 फीसदी बढ़ी है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पांच वर्ष में 24 फीसदी महंगाई बढ़ी थी। यह सरकारी आंकड़ें बता रहे हैं कि आमचुनाव में प्रत्याशियों से लेकर शासन प्रशासन द्वारा पिछले चुनाव के बराबर ही व्यवस्थाएं किए जाने की स्थिति में खर्च में 32 से 38 फीसदी तक इजाफा होगा।

2019 में प्रत्येक लोकसभा क्षे में खर्च हुए थे 100 करोड़: 201 आमचुनाव के बाद सेंटर फार मीडिया स्टडीज ने चुनाव खर्च पर एक रिपोर्ट जारी की थी। जिसमें क गया था कि यह आमचुनाव विश्व व सबसे खर्चीला चुनाव था। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में करीब 100 करो रुपये खर्च होने का जिक्र था। यदि 2019 आमचुनाव जितनी जरूरतें प्रत्याशी समेत शासन प्रशासन के स पर पूरी की जाती हैं तो स्वाभाविक कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 130 140 करोड़ रुपये के बीच खर्च होगा। 2024 आमचुनाव पर देश मे कुल खर्च का ग्राफ 75 से 80 हजा करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

चुनाव में व्यापारियों को लाइसेंसी शस्त्र जमा करने से मिले छूट

लखनऊ। व्यापारियों ने संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था से मांग की है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें लाइसेंसी असलहे जमा करने में छूट दी जाए। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है।

इसमें मांग की है कि व्यापारियों के पास जो लाइसेंसी शस्त्र हैं, वो अपनी व व्यापार की सुरक्षा के लिए हैं। चुनाव के दौरान पुलिस की भी उपलब्धता कम हो जाती है। व्यापारी रात में दुकान बंद कर अपने साथ नकदी लेकर जाते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी शस्त्र रखते हैं। ज्ञापन में बताया कि पूर्व में निर्धारित फॉर्म पर आवेदन किया जाता था। उस पर पुलिस की आख्या के अनुसार छूट मिल जाती थी। अमरनाथ मिश्र ने बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा है कि निर्धारित प्रारूप पर व्यापारी आवेदन करेंगे तो उस पर पुलिस की आख्या के हिसाब से छूट दी जा सकती है। (माई सिटी रिपोर्टर)

कहानी चुनाव की

अंगुलियों पर 55 करोड़ से लगेगी अमिट स्याही

66% अधिक खर्च होंगे पिछली बार से

नई दिल्ली। इस बार लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली अमिट स्याही का खर्च पिछली बार की तुलना में 66 फीसदी बढ़ गया है। 2019 में आयोग ने स्याही की 26 लाख शीशियां खरीदी थीं, जिस पर 33 करोड़ रुपये का खर्च आया था। इस बार आयोग ने करीब 55 करोड़ रुपये से 26.55 लाख स्याही की शीशियां खरीदी हैं। स्याही पर खर्च के बढ़ने का प्रमुख कारण सिल्वर नाइट्रेट है, जो स्याही का प्रमुख घटक है। इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण खर्च में वृद्धि होती है। स्याही बनाने वाली देश की एकमात्र कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लि. (एमपीवीएल) के अनुसार चुनाव आयोग के आदेश पर 25 मार्च तक सभी राज्यों को उनके हिस्से की स्याही पहुंचा दी गई है।

33 करोड़ रुपये खर्च हुए थे 2019 में

62 में पहली बार इस्तेमाल

1962 में पहली बार इस स्याही का इस्तेमाल किया गया था। तब 3.89 लाख शीशियों का उपयोग हुआ था। इस पर 2.27 लाख रुपये खर्च हुए थे। 2024 में अमिट स्याही के भारतीय चुनावों में इस्तेमाल को भी 62 साल हो जाएंगे।

अमिट स्याही से धांधली में कमी

भारत में हुए पहले आम चुनाव 1951-52 में मतदाताओं की अंगुली में स्याही लगाने का कोई नियम नहीं था। चुनाव आयोग को किसी दूसरे की जगह वोट डालने और दो बार वोट डालने की शिकायतें मिलीं। धांधली रोकने के लिए आयोग में कई विकल्पों पर विचार हुआ, लेकिन समाधान अमिट स्याही के रूप में मिला।

- आयोग ने नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया (एनपीएल) से ऐसी स्याही बनाने की बात की, जो पानी या किसी रसायन से भी मिट न सके। एनपीएल ने मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी को स्याही बनाने का ऑर्डर दिया। 1962 से अबतक एमपीवीएल ही अमिट स्याही की सप्लाई करती आ रही है। मैसूर पेंट्स 30 से अधिक देशों में इस स्याही का निर्यात भी करता है।

कोई नहीं जानता सीक्रेट फॉर्मूला

- मैसूर पेंट एंड वार्निश लि. ने कभी भी इस स्याही को बनाने के तरीके को सार्वजनिक नहीं किया। इसका कारण बताया गया कि अगर फॉर्मूले को सार्वजनिक किया गया, तो लोग इसके मिटाने का तरीका खोज लेंगे और इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।
- हालांकि, कुछ जानकारों का कहना है कि स्याही में सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है। इंक को तैयार करने में पूरी सुरक्षा और गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। इंक का फॉर्मूला क्वालिटी मैनेजर के पास होता है।
- इसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। यही वजह है कि कंपनी ने पिछले पांच दशक से अपनी साख बना रखी है।

चुनाव दर चुनाव बढ़ती जा रही स्याही की खपत

साल	मतदाता	स्याही की शीशियां
2014	83,40,82,814	21.5 लाख
2019	91,19,50,734	26.00 लाख
2024	98,66,00,000	26.55 लाख

स्रोत- एमपीवीएल और चुनाव आयोग

-प्रस्तुति : आशीष चौरसिया

वोटर हेल्पलाइन एप की मदद से अब आप...

घर बैठे ही करेक्ट करें एड्रेस और नाम

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (29 March) : अगर आपको वोटर लिस्ट में अपना एड्रेस चेंज कराना है या नाम में कोई संशोधन कराना है तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से आवेदन करके इस प्रक्रिया को बेहद कम से आसानी से पूरा कर सकते हैं.

एक ही एप पर आपको मिल जाएंगी कई सारी सुविधाएं

आपको अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन एप को डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आपको नए यूजर पर क्लिक करके अपना पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड करना होगा. इसके बाद एप में दी जा रही सभी सुविधाएं आपके सामने आ जाएंगी.

यहां पर करें क्लिक

एप में जब पेज खुलेगा तो आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे. आप वोटर सर्विसेस में जाकर फॉर्म आठ को क्लिक करेंगे. इसके बाद आपसे

कुछ डिटेल मांगी जाएंगी. सभी डिटेल भरने के बाद आपके पास ओटीपी आएगी, जिसे आपको भरना होगा. इसके भरते ही आपसे आधार नंबर आदि मांगा जाएगा. अगर आप एड्रेस या नाम में कोई संशोधन कर रहे हैं तो आपको कोई प्रूफ लगाना होगा. इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा.

ट्रैक कर सकेंगे एप्लीकेशन

सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी और एक नंबर अलाट कर दिया जाएगा. जिसकी मदद से आप अपने आवेदन के स्टेटस को देख सकेंगे. तीन से चार दिन के अंदर फील्ड वैरीफिकेशन के बाद आपका एड्रेस और नाम परिवर्तन हो जाएगा. अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई खामी मिलती है तो आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा.

किसी से भी कराएं आवेदन

आप किसी भी ऐसे यूजर से अपना आवेदन करा सकते हैं, जो वोटर हेल्पलाइन यूज कर रहा है. बस आपको उसे अपना ओटीपी बताना होगा. इस बार ओटीपी बेस्ड प्रक्रिया कराई जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके. इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप एप के माध्यम से अपना वोटर आईडीकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं.

नए वोटर्स ध्यान रखें

अगर कोई भी युवा वोटर अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहता है तो उसके पास 16 अप्रैल तक का समय है. इस समयावधि से पहले ही उसे नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना होगा. अगर इसके बाद आवेदन किया जाता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है. ऐसे में युवा वोटर्स तारीख का जरूर ध्यान रखें और जल्द से जल्द आवेदन कर दें.

जिलों में मतदान के दिन बंद रहेंगी दुकानें- फैक्टरियां

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश की 80 सीटों पर सात चरणों में मतदान होना है। वहीं चार विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव इन्हीं चरणों में होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के आधार पर राज्य सरकार ने मतदान की तिथियों में संबंधित जिलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फैक्टरियां आदि बंद रहेंगे। इस संबंध में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।

इस तरह 19 अप्रैल को प्रथम चरण, 26 अप्रैल को दूसरे चरण, 7 मई को तीसरे चरण, 13 मई को चौथे चरण, 20 मई को पांचवें चरण, 25 मई को छठे चरण और एक जून को सातवें चरण और विधानसभा उप चुनाव के दौरान संबंधित जिलों में अवकाश रहेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

यूपी में 1864 चेक पोस्ट बनाए गए

लखनऊ। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए सघन जांच की जा रही है। इसके लिए 513 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट तथा 1846 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किए गए हैं।

27 मार्च को पुलिस विभाग द्वारा 21,768 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए। आपराधिक व्यक्तियों के 12 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए। आठ लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराए गए। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 73,522 लोगों को पाबन्द किया गया। साथ ही 119 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 171 कारतूस, 14 बम बरामद कर सीज किए गए। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 33 केन्द्रों पर रेड डाली गई और एक केन्द्र को सीज किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आचार संहिता के पालन में विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

निगरानी सेल और कंट्रोल रूम तैयार

लखनऊ । लखनऊ की दोनों लोकसभा के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम और निगरानी सेल तैयार है। इनके लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। डीएम के निर्देश पर इन टीमों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है।

निगरानी सेल का खास कार्य सोशल मीडिया की गतिविधियों पर नजर रखना है। इसी तरह मीडिया निगरानी समिति का कार्य अनुमतियां देने के लिए जांच करना होगा। इसके लिए एडीएम हनुमान प्रसाद को नोडल बनाया गया है। सभी टीमों को उनके कार्य बता दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 56 में निगरानी सेल और एमसीएमसी के कक्ष तैयार हो चुके हैं। एक दर्जन के करीब कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा दी गई है।

21 हजार बैनर और पोस्टर हटाए गए

लखनऊ। चुनाव ड्यूटी में तैनात जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने आचार संहिता लागू होने से अब तक 21 हजार बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि हटाए हैं। ये सभी प्रचार और राजनीतिक दलों से संबंधित थे। इनमें सत्तारूढ़ दल के बैनर पोस्टर आदि भी शामिल हैं। सबसे अधिक कार्रवाई बीकेटी, मलिहाबाद, सरोजनीनगर और मोहनलालगंज में हुई। इन इलाकों में 14 हजार 504 बैनर, पोस्टर आदि हटाए गए। वहीं, लखनऊ पश्चिम, उत्तर, पूर्व, कैंट और मध्य में 7 हजार 714 बैनर पोस्टर हटाए गए। साथ ही अब तक पारा और बीकेटी से 37 लाख रुपये के करीब नगदी भी जब्त की गई है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० डेली न्यूज, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

लोकसभा चुनाव व उपचुनाव वाले जिलों में मतदान के दिन रहेगा अवकाश

लखनऊ (डीएनएन)। प्रदेश की 80 सीटों पर सात चरणों में मतदान होना है। वहीं चार विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव इन्हीं चरणों में होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के आधार पर राज्य सरकार ने मतदान की तिथियों में संबंधित जिलों में अवकाश घोषित कर दिया है।

इस दिन सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फैक्ट्रियां आदि बंद रहेंगे। इस संबंध में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश में शाहजहांपुर की ददरौल, लखनऊ जिले की लखनऊ पूर्व, बलरामपुर की गैसड़ी और सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बरेली में अवकाश रहेगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दिन अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ व मथुरा में अवकाश होगा। 7 मई को तीसरे चरण में मुरादाबाद, संभल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं व बरेली जिले में अवकाश घोषित किया गया चौथे चरण की मतदान तिथि 13 मई को शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज व बहराइच में अवकाश रहेगा। इसी दिन ददरौल विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा। पांचवें चरण के मतदान के लिए 20 मई को लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच व बलरामपुर में छुट्टी रहेगी।

इसी दिन लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। छठे चरण के लिए 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी व भदोही में अवकाश घोषित किया गया है। इसी दिन बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होना है। वहीं सातवें चरण के लिए एक जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। इसी दिन सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....अमृत विचार........ दिनांक ....30 MAR 2024

चुनावी घोषणा के बाद सी-विजिल एप पर मिलीं 79 हजार शिकायतें

नई दिल्ली, एजेंसी

चुनाव आयोग ने सी-विजिल एप को आचार संहिता का उल्लंघन को चिन्हित करने के लिए एक प्रभावशाली उपकरण बताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से इस एप के माध्यम से 79 हजार से अधिक शिकायतें मिली है। आयोग ने आगे बताया कि 99 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। उनमें से 89 प्रतिशत का समाधान 100 मिनट में किया गया है। आयोग ने बताया कि 58,500 शिकायतें अवैध बैनर होर्डिंग्स को लेकर दर्ज की गई थी, जबकि 1,400 शिकायतें पैसे, उपहार बांटने और शराब वितरित करने के संबंध में थे। वहीं तीन प्रतिशत शिकायतें संपत्ति नष्ट को लेकर थी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ......दै० डेली [illegible] लखनऊ...... दिनांक 30 MAR 2024

लोकसभा के 44 प्रतिशत निवर्तमान सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले, पांच प्रतिशत अरबपति

नई दिल्ली (भाषा)। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार निवर्तमान 514 लोकसभा सदस्यों में 225 (44 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा चुनावी हलफनामों में की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, उसने इन निवर्तमान सांसदों के हलफनामों के विश्लेषण में पाया कि इनमें से पांच प्रतिशत अरबपति हैं, जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक है।

● चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जारी की रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार, आपराधिक मामलों वाले निवर्तमान सांसदों में 29 प्रतिशत के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों वाले निवर्तमान सांसदों में नौ के खिलाफ हत्या के मामले हैं। इसके अनुसार, इन सांसदों में पांच भाजपा से हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा 28 निवर्तमान सांसदों ने चुनावी हलफनामों में अपने खिलाफ हत्या के प्रयास से जुड़े मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इनमें से 21 सांसद भाजपा से हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह, 16 निवर्तमान सांसद महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें तीन के खिलाफ बलात्कार के आरोप हैं। एडीआर की रिपोर्ट में इन सांसदों की वित्तीय स्थिति का भी विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बड़े राजनीतिक दलों में, भाजपा और कांग्रेस के सर्वाधिक संख्या में अरबपति सांसद हैं, हालांकि अन्य दलों के भी इस तरह के सांसदों की अच्छी-खासी संख्या है। राज्यवार आपराधिक मामलों में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक सांसद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। साथ ही, एडीआर के विश्लेषण में पाया गया है कि कुछ सांसदों के पास अरबों रुपए की संपत्ति है, जबकि अन्य के पास बहुत कम संपत्ति है। 73 प्रतिशत सांसद स्नातक या उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले हैं, जबकि सिर्फ 15 प्रतिशत निवर्तमान सांसद महिलाएं हैं।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 79 हजार से अधिक शिकायतें

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि इसका सी-विजिल मोबाइल एप्लिकेशन चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सूचना देने के लिए एक प्रभावी उपकरण बन गया है और लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से लोगों ने ऐसी 79,000 से अधिक शिकायतें इस ऐप के माध्यम से की हैं। आयोग ने कहा कि इनमें से 99 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है और करीब 89 प्रतिशत शिकायतों का निवारण तो 100 मिनट के अंदर कर लिया गया। आयोग ने कहा कि 58,500 से अधिक शिकायतें (कुल शिकायतों की 73 प्रतिशत) अवैध होर्डिंग और बैनरों के खिलाफ थीं, जबकि 1,400 से अधिक शिकायतें धन, उपहार और शराब वितरण से संबंधित थीं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि करीब तीन प्रतिशत शिकायतें (2,454) संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने या उनके विरूपण से संबंधित थीं। आयोग के मुताबिक हथियार दिखाने और डराने-धमकाने के मामलों की 535 शिकायतों में से 529 का समाधान कर लिया गया है।

Broadcast, publication of survey, exit poll banned till election ends

PNS ■ LUCKNOW

The Election Commission of India has said the ban on publication and broadcast of poll surveys and exit polls will remain in force till the end of the election process.

The Lok Sabha elections are being held in seven phases and the last phase of polling will be held on June 1.

Uttar Pradesh's Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa said here on Friday that the ban on broadcast of the exit poll will remain in force till half hour after the end of polling across the country.

He said violation of the direction of the poll panel would attract imprisonment for two years and fine or both.

The CEO said the ECI was keeping close watch on fake news and paid news for ensuring free and fair elections.

He said the ECI had formulated standard operating procedure (SOP) for the identification of the paid and fake news.

He said intense monitoring of political advertisements, paid news and its reporting was being done by the ECI through the media certification and monitoring committees (MCMCs). He said all advertisements by the political parties could be published only after the approval by the MCMC.

The monitoring of the paid news by the ECI starts from the day of filing of nomination papers by the candidates of various political parties and independents.

Navdeep Rinwa advised the Lok Sabha election candidates to take prior approval of the MCMC before inserting advertisements on cable TV, FM radio channel, cinema halls and social media sites.

He said the advertisements carrying reference to caste and religion which hurt the sentiments of a community were prohibited.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

निर्वाचन अधिकारियों की बैठक कर चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के दिए दिशा निर्देश

बरेली। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के साथ लोकसभा क्षेत्र बरेली की विधानसभा भोजीपुरा का भ्रमण किया गया।

भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय धौरेरामाफी में बने क्रिटिकल/वल्नरेबल एवं गत लोकसभा निर्वाचन-2019 में न्यूनतम मतदान वाले केन्द्र का निरीक्षण किया गया एवं स्थानीय लोगों से संवाद कर जानकारी ली गयी कि गांव में कानून व्यवस्था से सम्बन्धी कोई समस्या तो नहीं है और निर्देश दिये गये कि पोलिंग बूथों की व्यवस्थाओं को पूर्ण करने में जो भी कार्य रह गया है उसे अतिशीघ्र पूर्ण करायें। इसके बाद विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये गये कि निर्वाचन में किसी प्रकार दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ग्राम प्रधान को पोलिंग प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिये गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चन्द्रभान ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिये कि निर्वाचन के दौरान पूरी संवेदनशीलता व निष्पक्षता के साथ कार्य करें। पोलिंग बूथ से 200 मीटर के क्षेत्र में अगर कोई पत्थर/ईट रखा हो तो उसे शीघ्र हटा दें तथा पोलिंग बूथों का भ्रमण अवश्य कर लें और संवेदनशील/अतिसंवेदनशील बूथों की मैपिंग भी करा लें। पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिये कि निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्भीक तथा शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जाये, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाये।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, उप जिलाधिकारी सदर रत्निका श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

निर्वाचन कार्यों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा

बहराइच। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदान केन्द्रों का मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, बेव कास्टिंग वाले बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता, माडल बूथ की स्थापना, अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृतक मतदाताओं (एएसडी) की सूची तैयार करना, मतदाता पहचान पत्र के वितरण इत्यादि कार्यों की समीक्षा हेतु उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आरओ हैण्डबुक, आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों आदि का भली भांति अध्यन कर जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार सम्पन्न कराये जाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ.... दिनांक 30 MAR 2024

मतदाता जागरूकता में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका : जिलाधिकारी

स्वतंत्र चेतना

हरदोई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के स्वीप कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के नेतृत्व में जनपद के पत्रकार बंधुओ की सहभागिता से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारम्भ हुई। यह रैली शहर के सिनेमा चौराहा, बड़ा चौराहा, नुमाइश चौराहा से होते हुए वापस कलेक्ट्रेट परिसर में समाप्त हुई। रैली के समापन के उपरांत कलेक्ट्रेट स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में पत्रकार बंधुओ ने मतदाता जागरूकता की शपथ ली। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता जागरूकता में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकार सीधे जनता से जुडा होता है। पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि पत्रकारों के सहयोग से जनपद का मतदान प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा कि पत्रकार बन्धुओं से सहयोग से मतदाताओं का उत्साह बढ़ेगा और जनपद शीर्ष मतदान वाले जनपदों में शामिल हो सकेगा। स्वीप प्रभारी उपनिदेशक षि ड0 नन्द किशोर ने पत्रकार बन्धुओं के उत्साह की सराहना की।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै0 आज, लखनऊ .... दिनांक 30 MAR 2024

निर्वाचन कार्यों की जिला निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा

बेव कास्टिंग के लिए समय से तैयारी पूर्ण करने के दिये गये निर्देश

बहराइच। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदान केन्द्रों का मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, बेव कास्टिंग वाले बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता, माडल बूथ की स्थापना, अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृतक मतदाताओं (एएसडी) की सूची तैयार करना, मतदाता पहचान पत्र के वितरण इत्यादि कार्यों की समीक्षा हेतु उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आरओ हैण्डबुक, आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों आदि का भली भांति अध्यन कर जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार सम्पन्न कराये जाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि भारत निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार मतदान केन्द्रों पर रैम्प, बिजली, पानी, प्रकाश इत्यादि की सभी आवश्यक सुविधाएं समय से सुनिश्चित करा ली जाय। साथ ही बेव कास्टिंग वाले मतदान केन्द्रों व बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता इत्यादि की उपलब्धता समय से पूर्ण कर ली जाय ताकि बेव कास्टिंग कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। एएसडी मतदाताों की सूची वरिष्ठ अधिकारी अपनी देख-रेख में तैयार करायें ताकि कोई भी मतदाता छूटने न पाये। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान फार्म 06 भरने वाले नये अर्ह मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र के वितरण का भारतीय पोस्टल सेवा के ऐप से मिलान कर वितरण के प्रगति की डाकियांवार गहन समीक्षा की जाय। जिस स्तर पर मतदाता पहचान पत्र वितरण में लापरवाही व उदासीनता पायी जाय उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को पत्राचार भी किया जाय। नये मतदाताओं के शत प्रतिशत मतदाता पहचान पत्र का वितरण सुनिश्चित कराये ताकि मतदान प्रतिशत प्रभावित न होने पाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर., उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर सहित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

समाचार पत्र का नाम ....अमृत विचार.... दिनांक ....30 MAR 2024....

कलेक्ट्रेट में सेल तैयार सोमवार से रखेगी नजर

अमृत विचार, लखनऊ : लोकसभा चुनाव की गतिविधियों पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में खास निगरानी सेल बनाई गई है। यह गठित सेल सोमवार से हर गतिविधियों की निगरानी करेगी। खासकर सोशल मीडिया पर नजर रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने सेल का नोडल अधिकारी एसडीएम हनुमान प्रसाद को नामित किया है।

सेल में प्रत्याशी, राजनीति दल और समर्थकों को रखा गया है। इस कार्य का संबंधित को प्रशिक्षण दिया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष संख्या 56 में निगरानी सेल और एमसीएमसी बनाया गया है। जो कम्प्यूटर, इंटरनेट और सीसीटीवी आदि से लैस है। यह टीम सोमवार से सक्रिय होगी। वहीं, आचार संहिता का पालन कराने के लिए शहर में 21 हजार बैनर-पोस्टर हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई सरोजनी नगर, बीकेटी, मलिहाबाद और मोहनलालगंज में प्रशासन ने की है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्पष्ट आवाज, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

निर्वाचन कार्यों की जिला निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा

- **बेव कास्टिंग के लिए समय से तैयारी पूर्ण करने के दिये गये निर्देश**
- **नये मतदाताओं के शत प्रतिशत मतदाता पहचान पत्र का वितरण सुनिश्चित कराये**

बहराइच (स्पष्ट आवाज)। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदान केन्द्रों का मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, बेव कास्टिंग वाले बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता, माडल बूथ की स्थापना, अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृतक मतदाताओं (एएसडी) की सूची तैयार करना, मतदाता पहचान पत्र के वितरण इत्यादि कार्यो की समीक्षा हेतु उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आरओ हैण्डबुक, आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों आदि का भली भांति अध्यन कर जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार सम्पंन्न कराये जाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि भारत निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार मतदान केन्द्रों पर रैम्प, बिजली, पानी, प्रकाश इत्यादि की सभी आवश्यक सुविधाएं समय से सुनिश्चित करा ली जाय।

साथ ही बेव कास्टिंग वाले मतदान केन्द्रों व बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता इत्यादि की उपलब्धता समय से पूर्ण कर ली जाय ताकि बेव कास्टिंग कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। एएसडी मतदातों की सूची वरिष्ठ अधिकारी अपनी देख-रेख में तैयार करायें ताकि कोई भी मतदाता छूटने न पाये। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान फार्म 06 भरने वाले नये अर्ह मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र के वितरण का भारतीय पोस्टल सेवा के ऐप से मिलान कर वितरण के प्रगति की डाकियांवार गहन समीक्षा की जाय। जिस स्तर पर मतदाता पहचान पत्र वितरण में लापरवाही व उदासीनता पायी जाय उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को पत्राचार भी किया जाय।

नये मतदाताओं के शत प्रतिशत मतदाता पहचान पत्र का वितरण सुनिश्चित कराये ताकि मतदान प्रतिशत प्रभावित न होने पाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर., उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर सहित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

मास्टर ट्रेनर्स निर्वाचन की महत्वपूर्ण कड़ीः सीडीओ

प्रतापगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 24 को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पंन्न कराने हेतु डीएम/ जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन के नेतृत्व में दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतिम दिन मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण अफीम कोठी के सभागार में दिया गया। प्रशिक्षण में सुपर मास्टर ट्रेनर्स के रूप में डॉ विंध्याचल सिह, डॉ मो अनीश एवं एआरपी धर्मेंद्र ओझा रहे व टेक्निकल मास्टर ट्रेनर के रूप में अशोक शुक्ला एवं नसीमुददीन रहे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक नवनीत सेहारा ने प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण को छोटे-छोटे ग्रुपों में रखा गया जिससे कि आप लोग अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करें और ईवीएम मशीन पर प्रेक्टिकल करके अनुभव प्राप्त करे। उन्होंने कहा प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, सभी मास्टर ट्रेनर लोकसभा सामान्य निर्वाचन की महत्वपूर्ण कड़ी है जितने प्रभावी रूप से आप कार्मिकों को प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही अच्छा वह निर्वाचन के दिन काम करेंगे। उन्होंने बीच-बीच में मास्टर ट्रेनर्स से ईवीएम एवं सामान्य मतदान प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ कर सही उत्तर प्राप्त किए। जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद ने कहा कि आप सभी मास्टर ट्रेनर्स बहुत अनुभवी है अपने पूर्व ज्ञान का अनुभव और नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दें ताकि वह अच्छे से अच्छा मतदान संपन्न करवा सके। सुपर मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण में सामान्य प्रशिक्षण एवं ईवीएम संबंधित विशेष बिंदुओं जैसे सीआरसी क्या है, पीठासीन कितने प्रकार के लिफाफे जमा करते है, ईवीएम को जोड़ने का सही क्रम क्या है, एएसडी सूची क्या है, 17ए क्या है, 17सी क्या है, टेंडर वोट क्या है, चैलेंज वोट क्या है, वोटिंग कंपार्टमेंट में कौन-कौन सी मशीन रहती है आदि पर पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा की और नए अप्डेट्स के बारे में बताया। प्रशिक्षण के उपरांत सभी मास्टर ट्रेनर्स की 35 नंबर की एक बहुविकल्पीय परीक्षा भी संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह, उपनिदेशक एवं प्राचार्य अफीम कोठी मंजू वर्मा, प्रिंसिपल आईटीआई कुंडा रुपेश शुक्ला सहित राहुल शर्मा, जेपी चौधरी, नीरज मिश्रा और प्रशिक्षु कार्मिक उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

26 अप्रैल तक सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी अनुमति

गोंडा। शुक्रवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन. 2024 को दृष्टिगत रखते हुएं प्रत्याशियों तथा राजनैतिक दलों को मीटिंग, रैली, वाहनों, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, माइक, हेलीकाप्टर तथा हेलीपैड से सम्बन्धित अनुमति प्राप्त करने के लिए सुविधा ऐप ;सिंगल विण्डो सिस्टमद्ध विकसित किया गया है,सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ऐप के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण.पत्र निर्गत किये जायेगें। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों राजनैतिक दलों को सूचित किया जाता है कि बैठकोंध्रैलीध्वाहनों अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, लाउडस्पीकर, हेलीकाप्टर तथा हेलीपैड से सम्बन्धित अनुमति हेतु जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एम०सी०एम०सी० कक्ष में सिंगल विण्डों सिस्टम स्थापित की गयी है। नांमांकन की तिथि तक अनुमतियां प्रभारी अधिकारी परमीशन मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा के स्तर से प्राप्त की जायेगी तथा नामांकन के दिनांक 26 अप्रैल से अनुमतियां रिटर्निंग आफिसर के स्तर से प्राप्त की जायेगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै0 तरूण मित्र ..... दिनांक ....

लोकसभा सामान्य निर्वाचन की मास्टर ट्रेनर्स महत्वपूर्ण कड़ी : संजीव

प्रतापगढ़, 29 मार्च (तरुणमित्र)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन के नेतृत्व में दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतिम दिन मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण अफीम कोठी के सभागार में दिया गया।

प्रशिक्षण में सुपर मास्टर ट्रेनर्स के रूप में डॉक्टर विंध्याचल सिह, डॉ मोहम्मद अनीश एवं एआरपी धर्मेंद्र ओझा रहे व टेक्निकल मास्टर ट्रेनर के रूप में अशोक शुक्ला एवम नसीमुद्दीन रहे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक नवनीत सेहारा ने प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण को छोटे-छोटे ग्रुपों में रखा गया जिससे कि आप लोग अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करें और ईवीएम मशीन पर प्रेक्टिकल करके अनुभव प्राप्त करे। उन्होंने कहा की प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, सभी मास्टर ट्रेनर लोकसभा सामान्य निर्वाचन की महत्वपूर्ण कड़ी है जितने प्रभावी रूप से आप कार्मिकों को प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही अच्छा वह निर्वाचन के दिन काम करेंगे। अंत में उन्होंने बीच-बीच में मास्टर ट्रेनर्स से ईवीएम एवं सामान्य मतदान प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ कर सही उत्तर प्राप्त किए।

इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद ने कहा कि आप सभी मास्टर ट्रेनर्स बहुत अनुभवी है अपने पूर्व ज्ञान का अनुभव और नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दें ताकि वह अच्छे से अच्छा मतदान संपन्न करवा सके। इस अवसर पर सुपर मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मोहम्मद अनीस एवं धर्मेंद्र ओझा ने प्रशिक्षण में सामान्य प्रशिक्षण एवं ईवीएम संबंधित विशेष बिंदुओं जैसे सीआरसी क्या है, पीठासीन कितने प्रकार के लिफाफे जमा करते है, ईवीएम को जोड़ने का सही क्रम क्या है, एएसडी सूची क्या है, 17ए क्या है, 17सी क्या है, टेंडर वोट क्या है, चैलेंज वोट क्या है, वोटिंग कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मशीन रहती है आदि पर पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा की और नए अप्डेट्स के बारे में बताया गया।

प्रशिक्षण के उपरांत सभी मास्टर ट्रेनर्स की 35 नंबर की एक बहुविकल्पीय परीक्षा भी संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह, उपनिदेशक एवं प्राचार्य अफीम कोठी मंजू वर्मा, प्रिंसिपल आईटीआई कुंडा रुपेश शुक्ला सहित राहुल शर्मा, जेपी चौधरी, नीरज मिश्रा और प्रशिक्षु कार्मिक उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्पष्ट आवाज, लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

लोस चुनाव : किसके सिर सजेगा जीत का नगीना

लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास डेढ दशक पुराना है। इस सीट पर अब तक तीन बार चुनाव हुए हैं। नगीना लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है। नगीना को मुख्य रूप से काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। नगीना में काष्ठ कला सालाना टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है। यहां के कारीगर हाथ की नक्काशी से सुंदर आकर्षक हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं जो विदेशों में अपनी पहचान रखते हैं और यहां से विदेशों तक सप्लाई किए जाते हैं। इस सीट पर मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम निर्णायक है। नगीना का शाब्दिक अर्थ है रत्न या रत्न जड़ित आभूषण। इसे सैय्यद शासकों ने मुगलों से जागीर के रूप में पाया था। बाद में ये क्षेत्र 1857 के विद्रोह में मशहूर हुआ जब नजीबाबाद के नवाब और ब्रिटिश सेना के बीच बिजनौर में युद्ध हुआ था।

संसदीय इतिहास : यूपी की 17 आरक्षित लोकसभा सीटों में से एक नगीना लोकसभा क्षेत्र सबसे अहम माना जाता है। नगीना बिजनौर जिले की एक तहसील है। कभी ये सीट बिजनौर लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश पर इसे बिजनौर से अलग करके अलग लोकसभा क्षेत्र बनाया गया। 2009 में नगीना लोकसभा सीट पहली बार अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर अब तक तीन बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। यह सीट 16 लाख वोट वाली है। यह क्षेत्र किसी भी दल का गढ़ नहीं रहा है। तीनों बार के चुनावों में यहां अलग-अलग पार्टी के प्रत्याशी जीतकर सांसद बने है। यूं कहें कि यहां की जनता हर बार नए उम्मीदवार को मौका दिया है। पहली बार 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह पहली बार विजय हुए थे। उसके बाद 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद यशवंत सिंह ने सपा प्रत्याशी को हराकर इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। जबकि 2019 के चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन के चलते बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गिरीश चंद्र इस सीट पर विजय रहे जो वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

2019 में हाथी रहा सब पर भारी : 2019 में सपा, बसपा और रालोद गठबंधन में थे। बसपा के गिरीश चंद्र चुनाव जीते। बसपा के खाते में 568,378 (56.31 फीसदी) वोट आए। दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी यशवंत सिंह को 4,01,546 (39.78 फीसदी) वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी ओमवती देवी तीसरे स्थान पर रही, और उन्हें 20,046 (1.99 फीसदी) मत प्राप्त हुए।

नगीना के जातीय समीकरण : नगीना लोकसभा सीट वैसे तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। इस सीट पर 21 फीसदी अनुसूचित जाति के वोटर हैं। नगीना लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की बात करें तो यहां मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 50 फीसदी से भी अधिक है। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां करीब 1493411 मतदाता हैं, इनमें 795554 पुरुष और 697857 महिला वोटर हैं।

नगीना लोकसभा क्षेत्र विधानसभा सीटों पर सपा आगे : नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत करीब पांच विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नहटौर और नूरपुर शामिल है। नजीबाबाद, नगीना और नूरपुर ये तीन सीटें सपा के कब्जे में हैं। तो वहीं नहटौर और धामपुर पर भाजपा का कमल खिला हुआ है।

कौन है मैदान में : भाजपा ने नहटौर के विधायक ओम कुमार को मौका दिया है। इंडिया गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में आई है। सपा ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी यहीं से ताल ठोक रहे हैं।

2024 में गठबंधन नये रूप में : पिछले लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा-रालोद का गठबंधन था। इस बार भाजपा-रालोद गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन में सपा-कांग्रेस शामिल हैं। बसपा अकेले मैदान में है। एनडीए गठबंधन में यह सीट रालोद के खाते में है। वहीं इंडिया गठबंधन में ये सीट सपा के कोटे में आई है।

क्या कहते हैं समीकरण : इस बार नगीना लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। भाजपा ने नहटौर सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके विधायक ओमकुमार को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। 2012 से बनीं नहटौर सीट पर ओमकुमार शुरू से ही काबिज हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दै0 तरूण मित्र .... दिनांक ....

चुनाव प्रबंधन समिति व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक सम्पन्न

लोकसभा चुनाव आकांक्षाओं को पूरा करने वाला चुनाव-सांसद

इटावा, 29 मार्च (तरूणमित्र)। लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक बनाने को लेकर भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत की अध्यक्षता में व विधानसभा संयोजक विमल भदौरिया के संयोजन में सदर विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का शुभारंभ सम्मानित मंच द्वारा भाजपा के प्रेरणापुंज पं. दीनदयाल उपाध्याय व डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलित करके हुआ।

बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा से प्रत्याशी डॉ. रामशंकर कठेरिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव आकांक्षाओं को पूरा करने वाला चुनाव है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजनाओं के विकास की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि भाजपा को लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सफलता मिल रही है। सदर विधायका सरिता भदौरिया ने प्रबंधन समिति को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नियति और नीति भी हैं, इसलिए जनता भाजपा से सहमत है। अब सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से सामूहिक रूप से एक माह में इटावा लोकसभा को गति प्रदान करना है। संगठनात्मक जनपद प्रभारी कमलावती सिंह ने कहा कि सेवा, सुशासन, सुरक्षा और गरीब कल्याण के लक्ष्य को लेकर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत में कहा कि अब समय कम है। बूथ प्रबंधन को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें विधानसभा प्रबंधन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। बूथ मजबूत होगा तो ही मत प्रतिशत बढ़ेगा। संचालन जिलामहामंत्री शिवाकांत चौधरी ने किया। बैठक में पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया, केके. राज, पूर्व जिलाध्यक्ष रामकुमार चैधरी, डॉ. रमाकांत शर्मा, राकेश पाल, विनोद दुबे, जिला महामंत्री अन्नू गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख गणेश राजपूत, अतुल मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष हरनाथ कुशहवाह, 'देवप्रताप भदौरिया, सुबोध तिवारी, जिलामंत्री जितेंद्र गौड़, राहुल राजपूत, लोकसभा, जिला मीडिया प्रभारी रोहित शाक्य, अंकित सैनी, अच्युत मिश्रा, राजेन्द्र गुप्ता, अनुरुद्ध गुप्ता, प्रवीण पचौरी, रमेश राजपूत, विकास भदौरिया, विरला शाक्य सहित विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति में लगाए गए पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता उपस्थित रहें।

निर्वाचन कार्यों की जिला निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा

***बेव कास्टिंग के लिए समय से तैयारी पूर्ण करने के दिये गये निर्देश*मतदाता पहचान पत्र वितरण कार्य की करें गहन समीक्षा**

बहराइच जनसंदेश टाइम्स। लोक सभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदान केन्द्रों का मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, बेव कास्टिंग वाले बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता, माडल बूथ की स्थापना, अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृतक मतदाताओं (एएसडी) की सूची तैयार करना, मतदाता पहचान पत्र के वितरण इत्यादि कार्यों की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों, आरओ हैण्डबुक, आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों आदि का भली भांति अध्यन कर जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार सम्पन्न कराये जाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारत निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार मतदान केन्द्रों पर रैम्प, बिजली, पानी, प्रकाश इत्यादि की सभी आवश्यक सुविधाएं समय से सुनिश्चित करा ली जाय। साथ ही बेव कास्टिंग वाले मतदान केन्द्रों व बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता इत्यादि की उपलब्धता समय से पूर्ण कर ली जाय ताकि बेव कास्टिंग कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। एएसडी मतदातों की सूची वरिष्ठ अधिकारी अपनी देख-रेख में तैयार करायें ताकि कोई भी मतदाता छूटने न पाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर., उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर सहित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

समाचार पत्र का नाम दै0 अम संदेश टाइम्स, लखनऊ .... दिनांक 3 0 MAR 2024

डीएम ने आज जैदपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

जैदपुर, बाराबंकी। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के साथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन -24 के दृष्टिगत निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से आज विधानसभा क्षेत्र जैदपुर अंतर्गत मतदान केंद्र फतेहचंद जगदीश राय इंटर कलेज सफदरगंज का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। इसी प्रकार इसी विधानसभा क्षेत्र जैदपुर अंतर्गत मतदान केंद्र, उच्च प्राथमिक विद्यालय रसौली का भी स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए।

जिला मजिस्ट्रेट-जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने विधानसभा क्षेत्र जैदपुर के अंतर्गत मतदान केंद्रों पर मानक अनुसार आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया तथा कहा कि बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्धारित सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाए ताकि मतदान में उन्हें कोई असुविधा न होने पाए। उन्होने कहा कि बूथों के लिए निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार विद्यालय की सभी कमियों को समय दुरुस्त कराने का निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि मतदान सकुशल संपन्न कराना हम सभी का दायित्व है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों के लिए डाक मत पत्र की जो सुविधा चुनाव आयोग ने निर्धारित की है उसी अनुसार उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से छुट न जाए, इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी-जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के साथ विधानसभा क्षेत्र जैदपुर के थाना सफदरगंज का भी निरीक्षण किया तथा चुनाव की तैयारियों के सम्बंध में अभिलेख आदि का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

फेक न्यूज व पेड न्यूज पर रखी जा रही कड़ी नजर

भास्कर ब्यूरो

सीतापुर। एम.सी.एम.सी प्रभारी अधिकारी हर्ष मवार ने एम.सी.एम.सी सहायक प्रभारियों व कर्मचारियों संग बैठक कर सभी को आवश्यक निर्देश प्रदान किये। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है,अतः तैनात सभी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा कोई भी लापरवाही क्षम्य नही की जाएगी।

प्रभारी अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसओपी तैयार की गई है। एम0सी0एम0सी0 द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की सघन मॉनीटरिंग की जा रही है। समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया-प्रिंट पर प्रसारित किये जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज संबंधी समाचारों पर कड़ी नजर रखी जायेगी । कोई भी प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापनों को टीवी/केबिल चौनल, रेडियो चौनल, सिनेमा हॉल, ऑडियों-विजुअल डिस्प्ले, प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व एम0सी0एम0सी0 कमेटी से मंजूरी अवश्य लें। ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित/प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी समुदाय को आहत करता हो। प्रचार में प्रयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री पर प्रिन्टिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस दौरान जिला सूचनाधिकारी लाल कमल, अतिरिक्त सूचनाधिकारी प्रशांत अवस्थी, मनोरंजन कर अधिकारी प्रदीप कुमार सहित एम सी एम सी में तैनात कर्मचारी उपस्थित रहे।

- **एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की जा रही है सघन मॉनीटरिंग**

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

मतदाता जागरूकता रैली निकालकर दिया मतदाताओं को संदेश

भास्कर ब्यूरो

• डीएम के नेतृत्व में जिले के पत्रकार बंधुओ की सहभागिता से मतदाता जागरूकता रैली का किया आयोजन

हरदोई। लोकसभा चुनाव में स्वीप कार्यक्रमों की श्रृंखला में अब मतदाताओं को जागरूक कर जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में एक पहल पत्रकारों ने भी की है। शुक्रवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के नेतृत्व में जिले के पत्रकार बंधुओ की सहभागिता से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया. गया। मतदाता जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारम्भ हुई। रैली नगर के सिनेमा चौराहा, बड़ा चौराहा, नुमाइश चौराहा से होते हुए वापस कलेक्ट्रेट परिसर में समाप्त हुई। रैली के समापन के उपरांत कलेक्ट्रेट स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में पत्रकार बंधुओ ने मतदाता जागरूकता की शपथ ली। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता जागरूकता में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकार सीधे जनता से जुडा होता है। पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि पत्रकारों के सहयोग से जनपद का मतदान प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा कि पत्रकार बन्धुओं से सहयोग से मतदाताओं का उत्साह बढ़ेगा और जनपद शीर्ष मतदान वाले जनपदों में शामिल हो सकेगा। स्वीप प्रभारी उपनिदेशक कृषि डॉ नन्द किशोर ने पत्रकार बन्धुओं के उत्साह की सराहना की। पत्रकार बन्धुओं ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार व अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम आदि उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर लखनऊ दिनांक 30 MAR 2024

जिलाधिकारी ने की निर्वाचन कार्यों की समीक्षा

वेब कास्टिंग के लिए समय से तैयारी पूर्ण करने के निर्देश

- **मतदाता पहचान पत्र वितरण कार्य की करें गहन समीक्षा**

भास्कर ब्यूरो

बहराइच। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदान केन्द्रों का मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, बेव कास्टिंग वाले बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता, माडल बूथ की स्थापना, अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृतक मतदाताओं (एएसडी) की सूची तैयार करना, मतदाता पहचान पत्र के वितरण इत्यादि कार्यो की समीक्षा हेतु उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आरओ हैण्डबुक, आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों आदि का भली भांति अध्यन कर जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार सम्पन्न कराये जाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि भारत निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार मतदान केन्द्रों पर रैम्प, बिजली, पानी, प्रकाश इत्यादि की सभी आवश्यक सुविधाएं समय से सुनिश्चित करा ली जाय। साथ ही बेव कास्टिंग वाले मतदान केन्द्रों व बूथों पर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता इत्यादि की उपलब्धता समय से पूर्ण कर ली जाय ताकि बेव कास्टिंग कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। एएसडी मतदातों की सूची वरिष्ठ अधिकारी अपनी देख-रेख में तैयार करायें ताकि कोई भी मतदाता छूटने न पाये। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान फार्म 06 भरने वाले नये अर्ह मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र के वितरण का भारतीय पोस्टल सेवा के ऐप से मिलान कर वितरण के प्रगति की डाकियांवार गहन समीक्षा की जाय।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दैनिक भास्कर लखनऊ .... दिनांक 30 MAR 2024

दिन प्रतिदिन बदल रहा है सियासी समीकरण

बाहरी नहीं, अपनों को तवज्जो देते हैं जिले के मतदाता

भास्कर ब्यूरो

प्रयागराज। सियासी समीकरणों दिन प्रतिदिन बदल रहा है। ऐसे समय में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सीट बदले जाने या फिर उनका नाम काटे जाने का चर्चाएं भी आम होती जा रही है। पर पहले के चुनाव इस बात की गवाही के काफी है कि जिले के मतदाताओं ने बाहरियों को नहीं बल्कि अपनों को ही तवज्जों दिया। जनपद की फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने अब तक कुल 39 सांसद को संसद में भेंजा। पर बाहर आकर चुनाव लडने वालों को हार का सामना करना पडा। मूल रूप से बलिया जनपद निवासी छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र 16 वर्ष की उम्र में संगम नगरी आये और जीवन के अंतिम पडाव तक यहीं के होकर रह गये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करने वाले लोहिया को भी शुरुआती चुनावों में हार मिली। अमिताभ बच्चन भी मुंबई से सिर्फ यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लेकिन उनके पिता डॉ.हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अमिताभ का बचपन भी यहीं बीता था। इनके अलावा सांसद चुने जाने वालों पं.जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीप्रकाश, पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉ.मुरली मनोहर जोशी, हेमवतीनंदन बहुगुणा, विजया लक्ष्मी पंडित, हरिकृष्ण शास्त्री, कमला बहुगुणा, कृष्ण प्रकाश तिवारी, रामपूजन पटेल, बीडी सिंह, सरोज दुबे, जंग बहादुर पटेल, रेवती रमण

सिंह, श्यामा चरण गुप्ता, धर्मराज पटेल, कपिल मुनि करवरिया, अतीक अहमद, केशव प्रसाद मौर्य, केशरी देवी पटेल, डॉ.रीता बहुगुणा जोशी, नागेंद्र प्रताप पटेल शामिल रहे। इनकी जन्म और कर्मभूमि प्रयागराज ही रही है। संगमनगरी से सांसद चुने गए इन नेताओं के खिलाफ बाहर से आए दिग्गजों में प्रमुंखता से शामिल रहे डॉ. राम मनोहर लोहिया, कांशीराम, डॉ. सोंनेलाल पटेल, कौशलेंद्र सिंह पटेल जैसे नाम शामिल हैं। डॉ. लोहिया ने पं.जवाहर नेहरू के खिलाफ 1962 में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार मिली। कांशीराम ने 1988 में इलाहाबाद व 1996 में फूलपुर सीट से दावेदारी की, लेकिन दोनों ही चुनाव में पीछे रह गए। अपना दल के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल ने भी भाग्य आजमाया, लेकिन जीत नहीं मिली। वाराणसी के महापौर रहे कौशलेंद्र सिंह पटेल को 2018 में फूलपुर लोकसभा के उपचुनाव में सपा के नागेंद्र पटेल से हार मिली। भाजपा टिकट पर 2009 में करण सिंह पटेल भी फतेहपुर से आकर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं मिली। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट के अलावा फतेहपुर से भी सांसद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र हरिकृष्ण शास्त्री इलाहाबाद के अलावा फतेहपुर से भी सांसद चुने गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीति तो प्रयागराज में सीखी लेकिन पिता पं.जवाहर लाल नेहरू की सीट फूलपुर से बुआ विजयलक्ष्मी पंडित के चुनाव लड़ने की वजह से वह रायबरेली चली गईं। इलाहाबाद से तीन बार सांसद रहे डॉ. मुरली मनोहर जोशी कानपुर व वाराणसी से भी निर्वाचित हुए। इसी तरह हेमवती नंदन बहुगुणा इलाहाबाद के अलावा लखनऊ, श्याम चरण गुप्ता इलाहाबाद के अलावा बांदा से सांसद चुने गए। केंद्र मंत्री व राज्यपाल रहीं राजें कुमारी बाजंपेई सीतापुर से सांसद चुनी गई थीं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 30 ... 2024

सभी मतदाताओं को 'माई बूथ' एप डाउनलोड कराएं : डीईओ

बरेली, 29 मार्च (तरूणमित्र)। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के साथ लोकसभा क्षेत्र बरेली की विधानसभा बरेली कैन्ट का भ्रमण किया गया।

भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम नावदा शेखान में स्थित बालजती कन्या इण्टर कॉलेज में बने क्रिटिकल/वल्नरेबल मतदाता केन्द्र का निरीक्षण किया गया एवं स्थानीय लोगों से संवाद कर गांव की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली गयी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर कोई समस्या नहीं है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये गये कि बूथ पर छाया का उचित प्रबन्ध किया जाये तथा मतदान केन्द्र पर पीने के पानी, शौचालय, लाईट, पंखे, दिव्यांग हेतु रैम्प, खिड़कियों की रिपेयरिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उक्त के उपरांत पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरूनगला द्वितीय में बने बूथ का निरीक्षण किया गया जहां पर सभी व्यवस्थाएं उचित पायी गयी।

विद्यालय में निरीक्षण के दौरान स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों का भी निरीक्षण किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सम्बन्धी की जा रही गतिविधियों को देखा गया और प्रशंसा भी की गयी शाहजहांपुर रोड पर बने एसएसटी नाका का निरीक्षण किया गया और निर्देश दिये गये कि जो भी गाड़ी चेक की जाये उसकी विस्तृत जानकारी रजिस्टर पर अंकन अवश्य करें। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ विश्राम सिंह, उप जिलाधिकारी सदर रत्निका श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .. दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 30 MAR 2024

सी विजिल ऐप बनाएगा आसान चुनाव की राह

झाँसी, 29 मार्च (तरूणमित्र)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निदेर्शानुसार आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सकुशल सम्पन्न कराने तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु C-VIGIL App विकसित किया गया है। जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी, झांसी अविनाश कुमार द्वारा सभी संभ्रान्त नागरिको को सूचित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16.03.2024 को निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है। आदर्श आचार संहिता जनपद में प्रभावी है, यदि आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन के संदर्भ में कोई शिकायत है तो C-VIGIL App के माध्यम से आने वाली हर शिकायत पर 100 मिनट के अन्दर कार्यवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन का सबूत देने के लिए मतदाता, फोटो और वीडियो के साथ जहां पालन न हो रहा हो उस स्थान की लोकेशन भी भेज सकते है और लिख कर पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सकतें हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते है। इंस्टॉल करने पर कैमरा, लोकेशन और ऑडियो और फाइल्स एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 30 MAR 2024

जिनिअ ने आदर्श मतदान केन्द्र का किया निरीक्षण

आदर्श मतदान केन्द्र पर पीने का पानी, शौचालय, लाईट, दिव्यांगों को रैम्प आदि की व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश

बरेली, 29 मार्च (तरूणमित्र)। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के साथ लोकसभा क्षेत्र बरेली की विधानसभा भोजीपुरा का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय धौरेरा माफी में बने क्रिटिकल/वल्नरेबल एवं गत लोकसभा निर्वाचन-2019 में न्यूनतम मतदान वाले केन्द्र का निरीक्षण किया एवं स्थानीय लोगों से संवाद कर जानकारी ली गयी कि गांव में कानून व्यवस्था से सम्बन्धी कोई समस्या तो नहीं है।

निर्देश दिए कि पोलिंग बूथों की व्यवस्थाओं को पूर्ण करने में जो भी कार्य रह गया है उसे अतिशीघ्र पूर्ण करायें। इसके बाद विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास का भी

निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये गये कि निर्वाचन में किसी प्रकार दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ग्राम प्रधान को पोलिंग प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिये।

उक्त के उपरांत नगरिया कला में स्थित सेक्रेट हार्ट्स सीनियर सेकेण्डरी पब्लिक स्कूल में प्रस्तावित आदर्श मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया गया और बीएलओ को निर्देश दिये गये कि घर-घर जाकर शतप्रतिशत वोटर पर्ची बांटी जाये तथा उसका अंकन रजिस्टर में भी अवश्य किया जाये तथा शतप्रतिशत वोटिंग भी करायी जाये।

निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिये गये कि आदर्श मतदान केन्द्र पर पीने के पानी, शौचालय, लाईट, पंखे, दिव्यांग हेतु रैम्प आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। निरीक्षण के दौरान स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तहसील मुख्यालय से दूरस्थ व विधानसभा के बार्डर पर स्थित प्राथमिक विद्यालय जादौंपुर के बूथ का निरीक्षण किया गया और बीएलओ को निर्देश दिये गये कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाये तथा पोलिंग बूथ पर पीने के पानी आदि की उचित व्यवस्था रखी जाये।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .. दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 30 MAR 2024

सभी पोलिंग बूथों पर होगी लाइव वेब कास्टिंग : जिनिअ

बैठक में देर से आने पर विद्युत विभाग के अफसर पर कार्रवाई के दिए निर्देश

बरेली, 29 मार्च (तरूणमित्र)। जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 से सम्बंधित अधिकारियों के साथ विकास खण्ड भोजीपुरा स्थित सभागार में बैठक की। बैठक में सभी सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि समस्त बूथों में पीने के पानी, पंखे, विद्युत, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें तथा मतदान से एक दिन पूर्व जब पोलिंग पार्टियां आती है तो उन्हें भोजन की समस्या होती है ऐसी स्थिति में पोलिग पार्टी के लिये भोजन की व्यवस्था स्कूल रसोईया द्वारा भुगतान के आधार पर करायी जायेगी और जिन पोलिंग बूथ के कमरों की खिड़कियां खराब हैं उसमें जाली लगवा दी जाये। बैठक में

निर्देश दिये गये कि समस्त पोलिंग बूथों की वेब कास्टिंग करायी जाये और सरकारी कार्यालय में किसी भी पार्टी का बैनर, पोस्टर आदि लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बैठक में विद्युत के अधिकारी देर से आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये कि जिन पोलिंग बूथों के पहुंच मार्ग में गड्ढे हो गये हैं उसे शीघ्र सही कराया जाये। समस्त एम.ओ.आई.सी को निर्देश दिये गये कि किसी को भी फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ना दिया जाये। विद्युत विभाग को निर्देश दिये गये कि यदि किसी स्कूल में विद्युत का बिल बकाया है और उसका कनेक्शन काट दिया गया है तो उसे चुनाव से पूर्व जोड़ दिया जाये। संवेदनशील/अतिसंवेदनशील बूथों की मैपिंग भी करा लें। पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिये कि निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्भीक तथा शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जाये, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए।बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, उप जिलाधिकारी सदर रत्निका श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम . दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 30 MAR 2024

लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण ढंग से कराये जाने को 28 जोन , 188 सेक्टर में बांटा

फिरोजाबाद, 29 मार्च (तरूणमित्र)। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि जिले में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण,निष्पक्ष कराया जाएगा। जिले को 28 जोन एवं 188 सेक्टरों में बांटकर अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने को 65 हजार लोगों को पाबंद किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 110 के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ 13 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है।

चुनाव के दौरान गडबड़ी फैलाने वालों से पुलिस प्रशासन की टीम सख्ती पेश आएगी।

डीएम ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में तीसरे चरण में मतदान होगा। नामांकन 12 अप्रैल से जिला मुख्यालय पर डीएम न्यायालय कक्ष में दाखिल होना प्रारंभ होंगे। एक जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ पांच सहायक निर्वाचन अधिकारी तैनात किए है। 45 उड़नदस्ता टीम,45 स्थैतिक निगरानी टीम,पांच-पांच वीडियो निगरानी,वीडियो अवलोकन तथा सहायक व्यय प्रेक्षक टीमें बनाई है। जिले के 1285 मतदान केंद्र 2053 बूथों को 28 जोन एवं 188 सेक्टर में बांटते हुए अफसरों की तैनाती की है। इन बूथों पर 18 लाख 87792 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 10.10 लाख पुरुष तथा 8.77 लाख से अधिक महिला मतदाता है।उन्होंने कहा कि पोलिंग टीमें छह मई को पुलिस लाइन से रवाना होगी। मतदानके बाद ईवीएम को शिकोहाबाद मंडी प्रांगण में जमा कराया जाएगा।

इस चुनाव को कराने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण एमजी कालेज में होगा। मतगणना शिकोहाबाद मंडी प्रांगण में होगी। उन्होंने कहा दिव्यांग वोटरों के लिए बूथों पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रहीं है। 85 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग वोटर घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। 85 वर्ष से अधिक आयु के वोटर 10890 तथा दिव्यांग वोटर 13 हजार के करीब है।

सीडीओ ने मतदाता जागरुकता के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी।

एडीएम अभिषेक कुमार सिंह ने ईवीएम में बरती जाने वाली पारदर्शिता की जानकारी दी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम विकल्प,राजेंद्र सिंह,ब्रजमोहन मौजद थे।

पोलिंग टीम ले जाने वाले वाहनों में लगा होगा जीपीएस सिस्टम

डीएम रमेश रंजन ने कहा कि ईवीएम एवं पोलिंग टीमों को ले जाने वाले प्रत्येक वाहन मे जीपीएस सिस्टम लगा होगा। इन सभी सिस्टम को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। ताकि यह पता चल सके कि कौन सा वाहन किस तरफ से आ रहा है। ताकि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाये।

अलग रखी गई निकाय चुनाव की ईवीएम

जिलाधिकारी ने कहा कि ईवीएम को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है। यही कारण है, कि नगर निकाय चुनाव में प्रयोग की गई ईवीएम को नगर निगम के स्ट्रांगरूम में रखवाया गया है। मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव की ईवीएम रहेगी। चुनाव में पारदर्शिता के लिए ईवीएम का तीन बार रैंडमाइजेशन होगा। मतदान के बाद ईवीएम को शिकोहाबाद मंडी प्रांगण में कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...... दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 30 MAR 2024

निर्वाचन सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया प्रशिक्षण

कौशाम्बी, 29 मार्च (तरुणमित्र)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट को आज उदयन सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय ने समस्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके दायित्वों/कार्यों बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं ईवीएम के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट से कहा कि आपके द्वारा अपनी निगरानी में बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची एवं मतदाता गाइड का वितरण कराना सुनिश्चित किया जायेंगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट को वीटीआर ऐप तथा ईवीएम के सम्बन्ध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दियें।

ट्रेनर राकेश कुमार सिंह एवं विकास पाण्डेय द्वारा सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके कार्यों एवं दायित्वों यथा-निर्वाचन के पूर्व के कार्य/दायित्व-जिसके अन्तर्गत मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर मतदान केन्द्र पर आवश्यक मूलभूत सुविधा सुनिश्चित कराना, मतदाताओं को जागरूक करना एवं बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची एवं मतदाता गाइड का वितरण कराना आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दिया गया। इसी प्रकार मतदान के एक दिन पूर्व एवं मतदान दिवस के दिन के कार्य/दायित्वों के विषय में जानकारी दी गई। इसके साथ ही सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट को पीठासीन अधिकारी के दायित्व एवं कार्य तथा मतदान अधिकारी प्रथम/ द्वितीय/तृतीय के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी/प्रशिक्षण दिया गया।

तकनीकी सहायक दिलीप कुमार द्वारा वीटीआर ऐप के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी/प्रशिक्षण दिया गया इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार गोंड एवं अपर जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 30 MAR 2024

जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण सम्बन्धी दिए निर्देश

बरेली, 29 मार्च (तरूणमित्र)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु कार्मिकों का प्रशिक्षण राजकीय इण्टर कॉलेज में प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्व जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों (विधानसभा आंवला, फरीदपुर एवं बिथरी चैनपुर) तथा समस्त मास्टर ट्रेनर्स को निर्वाचन एवं प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये। इस अवसर पर बताया गया कि समस्त कार्मिक मतदान के दौरान जो प्रक्रिया होनी हैं उसे अच्छे ढंग से सीख लें और अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाये। सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने बूथों का निरीक्षण कर लें और पोलिंग के दिन शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करें तथा पोलिंग बूथों की वेबकास्टिंग करायी जाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये। प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी गयी कि दिव्यांग व वयोवृद्ध मतदाता जो बूथ पर जाकर वोट डालने में असमर्थ हैं उनसे फार्म 12 डी भरवा कर उनके घर पर वोट डलवाया जायेगा तथा इसकी मॉनिटरिंग भी की जाये। प्रशिक्षण के समय जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण में जो कार्मिक अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .. दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 30 MAR 2024

प्रेक्षक धनराजू एस ने किया प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण

दयावती मोदी एकेडमी में आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम

रामपुर, 29 मार्च (तरूणमित्र)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अंतर्गत मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दयावती मोदी एकेडमी में आयोजित किया गया। प्रथम पाली में 1122 मतदान कार्मिकों को 22 प्रशिक्षकों तथा 44 मास्टर ट्रेनरों द्वारा विभिन्न कक्षों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण स्थल पर सामान्य प्रेक्षक धनराजू एस द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया।उनके द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप कार्मिकों को उत्कृष्ट स्तर का प्रशिक्षण दिया जाए।

प्रत्येक मतदान कार्मिक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करते हुए निष्पक्ष,स्वतंत्र,शुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण मतदान करने में अपना योगदान दें।कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती

जाए।द्वितीय पाली में 204 माइक्रो आब्जर्वर,दिव्यांग बूथ के कार्मिकों एवं 85 वर्ष से ऊपर की आयु के मतदाताओं को उनके घर पर ही मतदान कराने के लिए लगाए गए कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तृतीय पाली में 189 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 40 जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण में 28 पीठासीन अधिकारी,25 मतदान अधिकारी,6 माइक्रो आब्जर्वर,5 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 5 जोनल मजिस्ट्रेट अनुपस्थित रहे।

मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक प्रशिक्षण नंदकिशोर कलाल द्वारा निर्देश दिए गए की अनुपस्थिति कार्मिक 31 मार्च को होने वाले प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लें अन्यथा उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। प्रशिक्षण में सहायक प्रभारी अधिकारी कार्मिक प्रशिक्षण/जिला पंचायत अधिकारी जाहिद हुसैन,सह जिला विद्यालय निरीक्षक हरिनाथ,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार,जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र जायसवाल आदि उपस्थित रहे।